कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2016–17/ दिनांक :

बजट परिपत्र

केन्द्रीय सहायता योजना/राज्य निधि योजना हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बजट अनुमान तैयार करते समय निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय बजट मैन्युअल **के अध्याय संख्या 13** की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी जिसके अनुसार बजट अनुमान तैयार करते समय गत वर्षो में किये गये व्यय को ध्यान में रखते हुये वास्तिविक आधार पर ही बजट अनुमान तैयार किये जावें एंव तैयार किये गये व्यय अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिये। जो योजनायें वर्तमान में बन्द है उनके लिये बजट प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। बजट अनुमान सकल आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।
2. स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय बजट मैन्युअल के **पैरा संख्या 13.16** की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी जिसके अनुसार बजट अनुमान तैयार करते समय एकमुश्त अनुमान न तैयार कर पिछल वर्षों में किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर या प्राप्त अनुदानों/रिलीजों के आधार पर हो बजट अनुमान तैयार किये जावें।
3. स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा वेतन एवं भत्तों का बजट अनुमान तैयार करते समय बजट मैन्युअल के **पैरा संख्या 13.18.2** की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी जिसके अनुसार बजट अनुमान तैयार करते समय रिक्त पदों के लिये वेतन एवं भत्तों में कोई प्रावधान नहीं रखा जावे। अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मुख्यालय स्तर पर एकजाई बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिये जाते है। पदों के रिक्त रहने के कारण वर्ष के अंत में संवेतन मद में बचत रह जाती है, जिसे जनलेखा समिति, राज्य विधानसभा द्वारा गम्भीरता से लिया जाता है एंव सिफारिश की गयी है कि भविष्य में बजट मैन्युअल के **पैरा संख्या – 13.18.2** के अनुसार बजट अनुमान तैयार किया जावे।
4. स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा अनुदान प्राप्त होने के पश्चात बजट मैन्युअल के पैरा **संख्या 23.16** की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी जिसके अनुसार अनुदान प्राप्त होने के पश्चात उसका समय पर उपयोग किया जावे या उपयोग न किया जाने की स्थिति में समय पर समर्पित किया जावे ताकि राशि को अन्यत्र उपयोग किया जा सके।
5. प्रायः यह देखा जाता है कि स्वीकृत बजट के अधिकांश भाग को वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में उपयोग में लिया जाता है जिसके कारण महालेखाकार आदि के द्वारा इसे आक्षेपित किया जाता है। भविष्य में स्वीकृत बजट का प्रतिमाह आनुपातिक उपयोग सुनिश्चित किया जावे। कम से कम सितम्बर माह तक स्वीकृत बजट का 35 प्रतिशत एवं दिसम्बर माह तक स्वीकृत बजट का 60 प्रतिशत से कम व्यय होने की दशा में इसकी स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी की संयुक्त जवाबदेही होगी।
6. कृषि विभाग द्वारा बजट निर्णायक समिति की बैठक में संशोधित बजट प्रावधान (आर0ई0) प्रस्तुत किये जाते हैं। लेकिन इससे पूर्व ही स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त प्रस्ताव बजट राशि/प्रावधित राशि के अनुरूप हो एवं यह बजट सीमा से अधिक नहीं हो। विभिन्न शीर्षों में जारी स्वीकृति/संभावित स्वीकृति के आधार पर बजट प्रावधान रखवाया

जावे। बिना किसी ठोस आधार पर किसी शीर्ष में बजट प्रावधान रखवाने एवं उक्त शीर्ष में बचत रहने की दशा में स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी की जवाबदेही होगी। साथ ही यह भी ध्यान में रखा जावे की प्रावधित राशि या तो केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चूकी हो या उसके शत–प्रतिशत प्राप्त होने की सम्भावना हो।

7. स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा भारत सरकार से समय पर स्वीकृति प्राप्त करने, भारत सरकार से स्वीकृति अनुसार पर्याप्त राशि प्राप्त करने एवं किये गये व्यय के अनुसार समय पर आनुपातिक/पूर्ण उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने आदि हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उपरोक्त बिन्दुओं की पालना हेतु स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी द्वारा अलग से भी आवश्यक निर्देश जारी किये जावे।

अतः बजट प्रस्ताव तैयार करते समय बजट नियमावली के समस्त पैराओं की पालना सुनिश्चित करावें अन्यथा भविष्य बजट नियमावली की पालना को लेकर महालेखाकार द्वारा कोई आक्षेप लगाया जाता है तो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी की होगी।

(विकास सीताराम जी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : एफ.7(447)/सी.एस.एस./प्लान/2016–17/ 21818-21834 दिनांक : 24/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. परियोजना निदेशक, आर0ए0सी0पी0, दुर्गापुरा जयपुर।
2. निदेशक, समेती, आत्मा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक कृषि (एनएमओओपी/विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/डब्लूयूसी/रसायन/एटीसी/आरकेवीवाई) मुख्यालय।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त स्कीम/कम्पोनेन्ट प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (पौध व्याधि विज्ञ/वनस्पति) दुर्गापुरा, जयपुर।
7. एसीपी, मुख्यालय, जयपुर को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(एल. एम. कुमावत)
(विकास सीताराम जी भाले)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि.)
आयुक्त, राजस्थान, जयपुर